पत्रिका
रविवारीय
पृष्ठ सात 18 जुलाई 1999

क्या भविष्य में भारत वृद्धों का देश होगा?

- देवेन्द्र कोठारी/अनूप खन्ना-

तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश के सामने एक विकट समस्या रही है। पिछले लगभग पांच दशकों के सतत प्रयासों के फलस्वरूप जन्म दर में निःसंदेह कमी आई है तथा मृत्यु दर भी घटी है। किन्तु इस निरंतर घटती हुई जन्म दर व मृत्यु दर के परिणामस्वरूप एक और मुद्दा उभर कर सामने आ रहा है और वह है जनसंख्या में वृद्धों के अनुपात में वृद्धि। अधिकांश विकसित राष्ट्रों के लिए तो यह पहले विकट समस्या बन चुकी है। अधिकांश विकसित राष्ट्रों की जनसंख्या में वृद्धों का प्रतिशत जो कि 1950 में 8 प्रतिशत के आसपास था, वह बढ़कर वर्तमान में 15 प्रतिशत हो गया है। सन् 2010 तक इसके 30 प्रतिशत के आसपास पहुंच जाने की संभावना है। विकासशील देशों में भी प्रजनन दर में कमी के कारण वृद्धों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। आगामी वर्षों में जनसंख्या स्थायित्व प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार जिस प्रकार तेजी से जन्म दर तथा मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कटिबद्ध है, उस हिसाब से वृद्धों के अनुपात में तीव्र गति से वृद्धि होना निश्चित है। अभी तक हालांकि वृद्धावस्था को एक समस्या के रूप में नहीं माना जाता था, किन्तु हाल में बढ़ते हुए शहरीकरण, संयुक्त परिवार प्रथा के विलय, पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव आदि के फलस्वरूप वृद्धावस्था एक समस्या का रूप ले सकती है।

निरंतर घटती हुई जन्म और मृत्यु दर के कारण वृद्धों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह आशंका सिर उठाने लगी है कि धीरे-धीरे कहीं वृद्धावस्था एक समस्या न बन जाए। आर्थिक और शारीरिक रूप से पराश्रित वृद्ध स्वयं भी कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस आलेख में वृद्धों की बढ़ती संख्या के संदर्भ में उनकी मुश्किलों पर भी रोशनी डाली गई है।

वर्ष 1991 की जगगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में से करीब सात प्रतिशत अर्थात् 5.7 करोड़ व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु के थे। विभिन्न राज्यों की जनसंख्या में वृद्धों का अनुपात 5 प्रतिशत [असम] से 9 प्रतिशत [केरल] के मध्य पाया गया। राजस्थान में कुल जनसंख्या में करीब छः प्रतिशत व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु के पाए गए। यदि हम पिछले दशकों में वृद्धों के अनुपात को देखें तो मालूम होता है कि 1960 में देश की कुल जनसंख्या में वृद्धों का प्रतिशत मात्र 5.6 था, जो कि 1981 में बढ़कर 6.2 तथा 1991 में बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो गया। अगली शताब्दी के प्रारम्भ तक यह बढ़कर 8.4 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। हालांकि यह प्रतिशत अधिक चिन्तनीय प्रतीत नहीं होता है, किन्तु वृद्धों की संख्या में जिस तीव्र गति से प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, वह अवश्य विचारणीय है। यदि हम वृद्धों की संख्या को देखें तो पता चलता है कि 1951 में हमारी जनसंख्या में 2.1 करोड़ व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक आयु के थे। 1991 में यह संख्या बढ़कर साढ़े पांच करोड़ हो गई। आने वाले वर्षों में प्रजनन दर में तीव्र कमी के कारण वृद्धों की संख्या व अनुपात में तेजी से वृद्धि होगी। यह वृद्धि कम से कम दो वर्षों तक जारी रहेगी। अगली शताब्दी के प्रारम्भ तक हमारे देश में वृद्धों की संख्या बढ़कर साढ़े सात करोड़ से भी अधिक हो जाने का अनुमान है। इनमें से अधिकांश वृद्ध 70 वर्ष से अधिक आयु के होंगे।

वृद्धावस्था में आर्थिक व शारीरिक निर्भरता एक अन्य विचारणीय मुद्दा है। देश में लगभग 44 प्रतिशत वृद्ध अपना जीवन साथी खो चुके हैं। उन्हें दैनिक क्रिया-कलापों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लगभग 5.4 प्रतिशत वृद्ध चलने-फिरने में अक्षम हैं। आर्थिक निर्भरता लगभग सभी आयु के वृद्धों में पाई जाती है। एक ओर आय के सभी स्रोत बंद हो जाते हैं तथा दूसरी ओर जीवन भर का जमा किया गया धन बच्चों के विवाह, बीमारियों तथा अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद नगण्य सा रह जाता है। इसके पश्चात् उनके पास बच्चों पर आश्रित रहने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह जाता। वर्तमान में करीब दो तिहाई वृद्ध आर्थिक रूप से दूसरों पर आश्रित हैं। इन आश्रितों का प्रतिशत ग्रामीण की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में अधिक है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न मुंह बाए खड़ा है कि क्या हमारा देश अगली शताब्दी के प्रारम्भ तक 7 करोड़ से भी अधिक वृद्धों की देखभाल का आर्थिक भार वहन कर पाएगा?

पिछली आठ पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार का ध्यान वृद्धों की ओर बहुत कम गया है। पहली व दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था। तीसरी एवं चौथी योजनाओं में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से केवल लाचार व अयोग्य वृद्धों के लिए सहायता को सम्मिलित किया गया। पांचवीं योजना में सामाजिक सुरक्षा में राज्य की भूमिका पर विशेष बल दिया गया किन्तु केन्द्रीय बजट में वित्तीय सहायता के लिए प्रावधान न होने के कारण राज्य सरकारें कुछ अधिक नहीं कर पाईं? छठी व सातवीं योजना में भी वृद्धों के कल्याण व सुरक्षा को बहुत कम प्राथमिकता मिल पाई। आठवीं पंचवर्षीय योजना में वृद्धों के कल्याण के लिए नई योजना प्रारम्भ की गई, जिसका उद्देश्य स्वयंसेवी संस्थाओं को वृद्ध गृहों, डे केयर सेन्टरों, मेडिकेयर तथा असंस्थागत सेवाओं के लिए प्रोत्साहित करना था।

वर्ष 1997-98 में वृद्धों के लिए केवल 17.5 करोड़ का बजट रखा गया था। लगभग 7 करोड़ वृद्धों के लिए हमारा समाज कल्याण मंत्रालय विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे 186 वृद्ध गृहों, 233 डे केयर सेन्टरों तथा 28 मेडीकेयर वैनों की लागत का 90 प्रतिशत दे रहा है, जो कि सागर में बूंद के समान है। वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए इन सुविधाओं में अत्यधिक विस्तार की आवश्यकता है। किन्तु इसके बावजूद भी यह सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही अधिक कारगर हो सकते हैं। हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या गांवों में रह रही है तथा गांवों में वृद्ध व्यक्ति अपना गांव व परिवार छोड़ने को तैयार नहीं है। गांवों के वृद्धों की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी। उन्हें वृद्ध गृहों व डे केयर केन्द्रों की अपेक्षा आर्थिक सहायता की अधिक आवश्यकता है।

अब समय आ गया है कि सरकार देश के वृद्धों को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने देने के लिए कारगर कदम उठाए। इसके लिए एक ओर जहां युवा वर्ग को अपने बुजुर्गों का सम्मान करने की शिक्षा देने की जरूरत है, वहीं सरकार को भी वृद्धों के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ मैनेजमेंट
1,प्रभुदयाल मार्ग,सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर